जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.2017 को आयोजित वर्ष 2017–18 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना सम्बन्धी नियमावली एवं समय–सारिणी के अनुसार छात्रों द्वारा त्रुटिरहित आवेदन पत्र आदि विषयक बैठक/कार्यशाला की कार्यवृत्त।

वर्ष 2017–18 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना सम्बन्धी नियमावली एवं समय–सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में जनपद लखनऊ के समस्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव, शिक्षा विभाग एवं कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों एवं समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थानों के निदेशक/रजिस्ट्रार की, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.2017 को विकास भवन सभाकक्ष में बैठक/कार्यशाला आहूत की गई थी। मुख्य विकास अधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा अपरिहार्य कारणों से भाग न लिये जाने के कारण उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रश्नगत बैठक/कार्यशाला अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी।

उक्त बैठक में निदेशक, व्यवसायिक शिक्षा, निदेशक आई0टी0आई, संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा, सचिव उ0प्र0 मेडिकल फैकेल्टी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्वयं या उनके द्वारा नामित अधिकारी/प्रतिनिधि के अलावा समस्त विश्वविद्यालयों, मेडिकल, इंजीनियरिंग, तकनीकी प्रबन्धन, पैरामेडिकल, व्यवसायिक संस्थान आदि शिक्षण संस्थानों के निदेशक, प्राचार्य अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम श्री के0एस0 मिश्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना सम्बन्धी अद्यावधिक संशोधित नियमावली एवं समय–सारिणी को विस्तृत रूप से पढ़ कर सुनाया गया और उपस्थित महानुभावों को जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि **scholarship.up.nic.in** की वेबसाइट पर अद्यावधिक संशोधित नियमावली, वर्ष 2017–18 विषयक समय–सारिणी, छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन के लिये दिशा निर्देश तथा शिक्षण संस्थानों हेतु दिशा निर्देश उपलब्ध है। सभी शिक्षण संस्थान के उपस्थित प्रतिनिधियों को सूचित किया गया कि वेबसाइट से प्रिन्ट आऊट निकाल कर विधिवत् उसकी जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं द्वारा त्रुटिरहित आनलाइन आवेदन भरा जा सके। समस्त शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों से यह भी अनुरोध किया गया कि छात्र/छात्राओं हेतु दिशा निर्देश अपने–अपने शिक्षण संस्थान के नोटिस बोर्ड पर छात्रों की सुविधा हेतु चस्पा कर दें तथा छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करने में सहयोग प्रदान करें। **सभी शिक्षण संस्थानों को विशेष रूप से अवगत कराया गया कि अपने–अपने शिक्षण संस्थान के मास्टर डाटा बेस में सम्पूर्ण सूचनाएं (जैसे कोर्स, सीट एवं फीस) प्रत्येक दशा में दिनांक 30 जुलाई 2017 तक भरकर स्वयं डिजिटली हस्ताक्षर तथा समय–सारिणी में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक स्तर से डिजिटली हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करें।**

जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं से अनुरोध किया गया कि वे अपने स्तर से भी इसी तरह की बैठक/कार्यशाला आयोजित कर छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आनलाइन आवेदन पत्र भराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देने का कष्ट करें।

श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा बैठक में उपस्थित प्रतिनिधिगण को छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र को भरे जाने हेतु विशेष सावधानी के सम्बन्ध में जानकारी दी गई तथा उपस्थित सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया। यह भी बताया गया कि छात्रवृत्ति नियमावली 2017 में दिये गये व्यवस्था के अनुसार शैक्षिक सत्र 2017–18 में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।

यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो छात्र को भुगतानित शुल्क की धनराशि वापस करनी होगी, इसलिये सभी शिक्षण संस्थान छात्रों की उपस्थिति पंजिका बनाना सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कभी भी किसी भी शिक्षण संस्थान के छात्रों एवं शिक्षकों के उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया जा सकता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यदि इसके बावजूद भी किसी भी छात्रों/शिक्षण संस्थान को प्रकार की समस्या आती है तो लिखित रूप से साक्ष्यों सहित अधोहस्ताक्षरी से मिलकर/बातकर समस्या का निराकरण करायें तथा शत–प्रतिशत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक/कार्यशाला का समापन किया गया।

(के0एस0 मिश्र)
जिला समाज कलयाण अधिकारी
लखनऊ।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : C-3073/स0क0/द0छा0बैठक/2017–18 दिनांक 17 जुलाई 2017

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
8. कुलसचिव, समस्त केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय जनपद लखनऊ।
9. सचिव स्टेट मेडिकल फैकेल्टी, लखनऊ, उ0प्र0।
10. सचिव, उ0प्र0, होम्योपेथी, मेडिकल बोर्ड, लखनऊ।
11. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ, उ0प्र0।
12. सचिव, व्यवसायिक शिक्षा परिषद लखनऊ, उ0प्र0।
13. निदेशक/प्राचार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0)।
14. निदेशक/प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
15. निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान, प्रशिक्षण प्ररिषद जे0बी0टी0सी0 कैम्पस निशातगंज, लखनऊ।
16. समस्त निदेशक/प्राचार्य, मेडिकल/इंजीनियरिंग/प्रबन्धन/पैरामेडिकल/ व्यवसायिक संस्थान, जनपद, लखनऊ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
लखनऊ।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति/अतिमहत्वपूर्ण

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : C-3074 /स0क0/द0छा0/2017-18 दिनांक 17 जुलाई 2017

1. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ।
2. कुल सचिव, छत्रपति साहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. कुल सचिव, डा0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. कुल सचिव, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. कुल सचिव, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. कुल सचिव, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9. कुल सचिव, इन्ट्रीगल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
10. कुल सचिव, एमिटी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
11. कुल सचिव, भातखण्डे म्यूजिक इंस्टीट्यूट, लखनऊ।
12. कुल सचिव, महर्षि यूनिर्वसिटी ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलाजी, लखनऊ।
13. कुल सचिव, संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस, लखनऊ।
14. सचिव स्टेट मेडिकल फेकेल्टी, लखनऊ, उ0प्र0।
15. सचिव, उ0प्र0, होम्योपेथी, मेडिकल बोर्ड, लखनऊ।
16. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ, उ0प्र0।
17. सचिव, व्यवसायिक शिक्षा परिषद लखनऊ, उ0प्र0।
18. निदेशक/प्राचार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0)।
19. निदेशक/प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
20. निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान, प्रशिक्षण प्ररिषद जे0बी0टी0सी0 कैम्पस निशातगंज, लखनऊ।
21. समस्त निदेशक/प्राचार्य, मेडिकल/इंजीनियरिंग/प्रबन्धन/पैरामेडिकल/ व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, जनपद, लखनऊ।

विषय :– दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विषयक शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु शासन द्वारा निर्गत समय-सारिणी के अनुसार दिनांक 30 जुलाई 2017 तक इंस्टीट्यूट डिटेल आदि को आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-65/2017/1017/26-3- 2017-4(358)/07 टी0सी0।।। लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम सं0-1 के कार्यवाही का स्तर 1 में निर्देशित किया गया है कि 30 जुलाई 2017 तक समस्त शिक्षण संस्थानों के इंस्टीट्यूट डिटेल संस्था के प्रमुख एवं नोडल अधिकारी द्वारा समस्त विवरण (कोर्स, सीट व फीस आदि) भरकर डिजिटली हस्ताक्षरित कर दिये जाय। संस्थानों द्वारा डिजिटली हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय के पदाधिकारी द्वारा संस्था के विवरण को परीक्षण कर डिजिटली हस्ताक्षरित किया जायेगा। तत्पश्चात् क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित करते हुए डिजिटली हस्ताक्षरित किया जायेगा। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के डिजिटली हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् जिला समाज कलयाण अधिकारी द्वारा उक्त विवरण को डिजिटली हस्ताक्षर किया जायेगा। यदि उक्त निर्धारित तिथि तक सभी सतरों से संस्था का विवरण डिजिटली हस्ताक्षर नहीं हो जाता है तो उस संस्था के छात्र छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लाभ से वंचित हो सकते है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं0-3815 दिनांक 04.05.2016 द्वारा नियमावली में शिक्षण संस्थान के दायित्व को स्पष्ट किया गया है। उक्त अर्द्धशासकीय पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ के पत्र संख्या

–सी0–727 दिनांक 10 मई 2016 द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों को विगत वर्ष उपलब्ध कराये जा चुके हैं। जनपद लखनऊ में संचालित सभी केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों के कुलसचिव/प्रतिनिधियों की बैठक/कार्यशाला विकास भवन सभागार कक्ष में दिनांक 12 जुलाई 2017 को आहूत की गई थी, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा विस्तृत जानकारी आपके प्रतिनिधि को दी जा चुकी है। छात्रवृत्ति से सम्बन्धित समस्त नियमावली, शासनादेश तथा समय–समय पर जारी अर्द्धशासकीय पत्र के अतिरिक्त समय–सारिणी/छात्रों तथा शिक्षण संस्थानों हेतु दिशा निर्देश **scholarship.up.nic.in** एवं **shasanadesh.up.nic.in** के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त इंस्टीट्यूट डिटेल को डिजिटली लाक किये जाने की कार्यवाही संस्था प्रमुख प्रत्येक दशा में 25 जुलाई 2017 तक अपने स्तर से कर के शेष सभी स्तरों से भी डिजिटली हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में यदि कोई छात्र छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित रह जाता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें तथा सम्बन्धित संस्थान डिजिटली हस्ताक्षर के पश्चात् आनलाइन अग्रसारित सभी प्रपत्रों की हार्डकापी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक पूर्ण कराकर जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

17.7.17
(प्रशान्त शर्मा)
मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षण, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने सम्बन्धित समस्त शिक्षण संस्थानों को सूचित करते हुए कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
6. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक सूचना जनपद लखनऊ को निःशुल्क प्रचार–प्रसार हेतु।

मुख्य विकास अधिकारी
लखनऊ।